न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव खेदर आर ए एस
वादपत्र संख्या :— 62/2024

उनवान

1. कमल किशोर शर्मा पुत्र श्री गुलाब चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 52 वर्ष निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज , 88 आर टी एक्ट

उपस्थित 1 श्री अशोक कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक 30.4.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है यहकि हाल आराजी खसरा नं0—1998 रकबा 0.13 हैक्टर, 2069 रकबा 0.21 है0, 2076 रकबा 0.08 है0, 2078 रकबा 0.21 है0, 2079 रकबा 0.30 है0, 2095 रकबा 0.27 है0, 2102 रकबा 0.16 है0, 2103 रकबा 0.17 है0, 2106 रकबा 0.36 है0, 2112 रकबा 0.60 है0, 2113 रकबा 0.22 है0 कुल किता 11 रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम देवन तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि के हिस्सा 1/5 भाग पर वादी खातेदार व काबिज काश्तकार है । वादी द्वारा अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करने के कारण पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। वादपत्र में उक्त वर्णित आराजी भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के विरासत के नामान्तकरण में वादी का जाना पहचाना नाम कमलेश पुत्र गुलाबचन्द अंकित करवा दिया। जबकि वादी का समस्त लोक दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, शिक्षा की अंकतालिक इत्यादि में वादी का नाम कमलकिशोर पुत्र गुलाबचन्द अंकित है। वाद पत्र में वर्णित आराजी भूमि पर वादी ऋण सुविधा प्रापत करने के लिए सरकारी बैंक में गया तो वादी को जमाबन्दी के रिकार्ड में अपना नाम कमलेश पुत्र गुलाबचन्द दर्ज मिला तो बैंक ने वादी को ऋण देने से इंकार कर दिया इस प्रकार वादी को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त कराने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो तहसीलदार महोदय ने वादी का नाम दुरूस्त करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। वादी का राजस्व रिकार्ड/जमाबन्दी में दर्ज नाम से वादी का अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में दुरुस्त होना संभव नहीं है । वादी का वाद पत्र में वर्णित आराजी में कमलेश पुत्र गुलाबचन्द नाम दर्ज होने से कृषक व अन्य ऋण योजनाओ के लाभ से वंचित रहना पडता है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत नाम अंकन में भविष्य में भी अनेको परेशानियों का सामना करना पड रहा है, इस कारण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अंत मे वादी ने निवेदन किया उक्त वर्णित आजाजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम कमलेश पुत्र गुलाबचन्द के स्थान पर कमल किशोर शर्मा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावे।
पुत्र गुलाब चन्द दर्ज करके तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। जाहिर किया

वकील वादी बहस सुनी गई। वादी ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कमलेश पुत्र गुलाबचन्द दर्ज है तथा वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

में नाम कमल किशोर शर्मा पुत्र गुलाब चन्द दर्ज होने से सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। अन्त वकील वादी ने अपना वाद पत्र के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड कमलेश पुत्र गुलाब चन्द दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड व सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम कमल किशोर शर्मा पुत्र गुलाब चन्द दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत देवन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कमलेश व कमल किशोर दोनो एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज का अवलोकन करने पर हम वादी के वादपत्र को राज्य सरकार की शिघ्र न्याय की मंशा को मध्यनजर रखते हुए यदि राजहित में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होने पर दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नं0–1998 रकबा 0.13 हैक्टर, 2069 रकबा 0.21 है0, 2076 रकबा 0.08 है0, 2078 रकबा 0.21 है0, 2079 रकबा 0.30 है0, 2095 रकबा 0. 27 है0, 2102 रकबा 0.16 है0, 2103 रकबा 0.17 है0, 2106 रकबा 0.36 है0, 2112 रकबा 0.60 है0, 2113 रकबा 0.22 है0 कुल किता 11 रकबा 2.71 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपने स्तर से जांच करे यदि किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं हो तो खातेदार कमलेश पुत्र गुलाबचन्द जाति ब्राहम्ण के स्थान पर कमलकिशोर शर्मा पुत्र गुलाबचन्द जाति ब्राहम्ण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.4.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (ज...

(संजीव कुमार खेदर)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)
जिला जयपुर